

4680

S.R.-II
MZN



शेजापिकार कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय

सेवाधन का संश्लेष विवरण

	उपचारक्रम	
1	सम्पत्ति का प्रकार	कृषि भूमि
2	वार्ड/परगना	पुरखारा
3	बीजला/ग्राम/सेगमेंट	छपार
4	किस-शासकीय/नगरीय/उखलेनगरीय	ग्रामीण
5	सम्पत्ति का विवरण (आवकसीव चार/व्यवसायिक/ रोपण/कृषि)	खसरा नं० 561 व 562 कृषि भूमि
6	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (बर्गमीटर/हेक्टेयर)	0.2800 हेक्टेयर
7	सम्पत्ति की स्थिति(निक/तलावदीप/राज्य /राष्ट्रीय मार्ग/सीमेंट) का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग की 200 मीटर की सीमा में है
8	नगर/खो/एक रास्ते का नाम	नहीं
9	निकटवर्त नामित मार्ग का नाम व दूरी	नहीं
10	(क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल	नहीं
	(ख) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल प्रथम तल	नहीं
	(ग) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल द्वितीय तल	नहीं

K.O.
472
10.7.21

30,500
0.2800

2.10

[Handwritten signature]



संयोजक
आयुष्मान टास्क
बुरुकूल गाँव (अधिकारी)






- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | निर्माण का प्रकार/श्रेणी | |
| 12. | फोटो का मूल्यांकन | नहीं |
| 13. | वीरिंग व अन्य | नहीं |
| 14. | निर्माण का वर्ष | नहीं है |
| 15. | प्रतिफल/वातार मूल्य/प्रतिफल | नहीं |
| 16. | निर्धारित दर के अनुसार मालिकता | नहीं है |
| 17. | दिया गया स्टाम्प शुल्क | > 30,24,000/-रुपये |
| 18. | स्टाम्प देवता की गणना हेतु प्रयुक्त दर | > 1,51,200/-रुपये |
| 19. | प्रयुक्त निर्माण दर | > 1,08,00,000/-रुपये (डी केस्टेप) |
| 20. | रिट लिस्ट का क्रमांक पृष्ठ संख्या | > पृष्ठ 31 कोड संख्या 1077
प्रकरण-4 कालम संख्या |
| 21. | बीहड़वी | नहीं है |
| 22. | प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- | (1) 9837466104 |
| 23. | द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०:- | (1) 8192085249 |
| 24. | सम्पत्ति तक पहुंचने का कष्ट बाई संलग्न है अथवा नहीं | हाँ |
| 25. | लेखापत्र के साथ संलग्नक आवश्यक प्राप्ति/ साक्ष्यों का विवरण | :- फोटो अर्द्ध डी. प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व प्रथम संलग्न है। |

उपरोक्त भी जा रही सम्पत्ति आवास विभाजन शुल्क के अन्तर्गत नहीं है।
 उपरोक्त भी जा रही सम्पत्ति किसी सेमेन्ट के अन्तर्गत नहीं आती है।
 दोनों पक्ष भारतीय नागरिक है।
 दोनों पक्ष अनुसूचित जाति से नहीं है।

सम्पत्ति निम्नलिखित वक्ता, शत्रु सम्पत्ति, वर्ष भरिनी अथवा ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

यूनिफ संख्या 1108420561000012



रजिस्ट्रार
 मूल्य/दर/शुल्क
 मूल्य/दर/शुल्क (मिटर)


बंदी सं: ।

रजिस्ट्रेशन सं: 4080

दि 20/11

निम्नानुसार बंदी सुनने व निलंबने कायम व बंधन धरनादि के प्रलेखनुसार
उक्त

दल द्वारा ।

श्री दीपक कुमार शर्मा, पुत्र श्री नवीन
कुमार शर्मा

निवासी: पीपली बजार, टाकसान, गुरुकुल नगर

कायदा, गुजरात

दान गृहीता: ।



श्रीमती. अशुभान टाक के द्वारा बंधन, पत्नी
की अर्पिता कुमारी

निवासी: खामपुर टाकसान गुरुकुल नगर
सदर गुरुकुल नगर


कायदा, गुजरात



ने निम्नानुसार स्वीकार किया । निम्नी सहान
प्रदानकर्ता । ।

श्री श्री के. ए. ए. ए. ए.

श्री श्री के. ए. ए. ए. ए.




श्रीमती. अशुभान टाक के द्वारा बंधन

अशुभान टाक
पुत्र श्री नवीन
कुमार शर्मा

कायदा, गुजरात
निवासी: खामपुर टाकसान
गुरुकुल नगर

ने श्री. अशुभान टाक के द्वारा बंधन
अशुभान टाक के द्वारा बंधन
दिया है ।




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	1 IN-UP757685M451316T
Certificate Issued Date	2 28-May-2021 02:01 PM
Account Reference	3 NEWMPACC (SV) up14195404/ MUZAFFARNAGAR SADARI UP- MUF
Unique Doc. Reference	4 SUBIN-UPUP1419540430958190207092T
Purchased by	5 AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Description of Document	6 Article 33 Gift
Property Description	7 AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-CHHAPAR MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	8
First Party	9 DEEPAK KUMAR SALAR SO SATISH KUMAR SALAR
Second Party	10 AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Stamp Duty Paid By	11 AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Stamp Duty Amount (Rs.)	12 1,51,200 (One Lakh Fifty One Thousand Two Hundred only)



Please visit www.upsstamps.gov.in

[Handwritten Signature]

अध्यक्ष
 आयुष्मान ट्रस्ट
 मुकेश्वर नारयण (हरिद्वार)

0004115315

अपील नं. 28218679001/2023

द्वारा पत्र


पत्र नं. 1

रजिस्ट्रेशन नं. 4680

दि: 20/11

प्रतिपत्र - 1) 12000/- दुल्हा - 15/1200/- बाजारी दुल्हा - 300000/- फौजदार दुल्हा - 10700/- प्रतियोगिकता दुल्हा - 10/- योग - 101000/-

श्री दीपक कुमार शर्मा
पु. श्री दीपक कुमार शर्मा
जन्मदिनांक: 20/11/1981
पिताजी: श्रीधरजी कश्यपपुर जिला हरियाणा



वेबपुट लेखांक प्रारंभ कार्यालय में दिनांक 11/09/2023, एवं
11/10/23 को भी
उत्पन्न हेतु देया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा

दीपक कुमार शर्मा
उप निबंधक जलर डिप्टी
मुंबई/हरियाणा
21/11/2023

प्राप्तकर्ता श्री दीपक
शर्मा-हरियाणा



मम कि दीपक कुमार सालार पुत्र श्री सतीश कुमार सालार निवासी ग्राम
 वीथकी कथापुर जिला हरिद्वार आषाढ कार्ड संख्या 3327 8398 0448, PAN-
 EWRPS3730N प्रथम पक्ष (अपेक्षारक्षता) व आयुधान ट्रस्ट गुरुकुल नारसम
 झकखाना गुरुकुल नारसम तहसील रुहरी जिला हरिद्वार द्वारा अध्यक्ष श्रीमति बालेश
 पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम कालपुर जलाखाना गुरुकुल नारसम तहसील रुहरी
 जिला हरिद्वार आषाढ कार्ड संख्या 9416 4418 3482, PAN-ABSFA3871G द्वितीय
 पक्ष (अपेक्षारक्षता) है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति का प्रथम पक्ष संकल्पनीय भूविहार दर्ज है जो उपमस
 की शरीर के नामा जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 की लिस्ट 8479 के पृष्ठ 281/312 के
 क्रमांक 4395 पर दिनांक 15.07.2020 को कार्यालय उपनिबन्धक सदन मुजफ्फरगढ़ में
 दर्ज है जिसका प्रथमपक्ष भक्तिक व कथित है। उपरर की वा रही सम्पत्ति पर कोई मल
 देनदारी नहीं है। यदि भविष्य में जल से पूर्व का कोई भूजा आदि वा कोई वाच-विवाद
 सरकारी वा गैर सरकारी वा जमीन वा मटे का कोई विवाद आदि निम्न सम्पत्ति पर पडा
 जाता है तो उसे जय व बेमान करने की जिम्मेदारी उन्हा प्रथमपक्ष की होगी। ऐसे भूजा की

Handwritten signature


अपना
 आयुधान ट्रस्ट
 गुरुकुल नारसम (हरिद्वार)

Handwritten signature



Handwritten text at bottom left



अद्वयणी से द्वितीयपक्ष का कोई वास्तु व सत्त्वुक नहीं होगा। किन्तु सम्पत्ति को किये जाते
 करसे के पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है। जब प्रथम पक्ष ने संवेद्य तथा अमान्य व
 स्वयं भवित्त्व की दशा में जीवन अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय अपने सम्पत्ति
 अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकारों के अपने तारिका के परामर्श
 व सहमति से आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल नारसुत वाकवाणा गुरुकुल नारसुत सत्यंत
 रुडकी जिला हरिद्वार द्वारा अथवा श्रीमति बालेश पन्दी की साक्षि दुनार निवासी जल
 खानपुर वाकवाणा गुरुकुल नारसुत तदानील रुडकी जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष (उत्तराखण्ड)
 को उपहार कर दी है और द्वितीयपक्ष उपहारपक्षीता ने भी सम्पत्ति निम्नलिखित को उपहार
 के रूप में ग्रहण कर ली है और उपहार की गई सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना कर्ज व
 ऋण उदाकर इयात व कर्षा द्वितीय पक्ष का वास्तव मीशुदा पीके पर निम्न अपने कर
 दिया है और उसे उसका पूर्ण नातिक व अधिकारी बना दिया है आज से प्रथम पक्ष व अपने
 उत्तराधिकारियों पर कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। जब की
 उपहार की गई सम्पत्ति कुल वा उभास कोई अथ प्रथम पक्ष के किसी सहोम व शरीर को
 दावेदारी से या प्रथम पक्ष के किसी फेल वा तर्क के कारण वा किसी कानूनी मुस के कारण
 वा किसी अन्य कारण से जो कि प्रथम पक्ष की ओर से उभस में अने कर्षे द्वितीय पक्ष
 में कोई वाधा पडे उस पर अधिकार न मिले कर्षे व आधे कर्षे से निकल शेष की रने

Handwritten signature




उत्तरा
 खण्ड
 जिला हरिद्वार

बालेश





समस्त दशाओं में प्रथम पक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और द्वितीय पक्ष को अधिकतर तो यह कि वह कच्चा स्वयं या अदालत द्वारा हस्तगत कर लेवे इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। प्रथम पक्ष के कानून अनुसार उपहार की गई सम्पत्ति का कोई इकरारनामा या किन्ना सादा अथवा रजिस्टर्ड आज में पूर्व किसी तीसरे व्यक्ति के हस्त में नहीं किया गया है। उपहार की गई भूमि में कोई पेड़ या खीरिंग नहीं है उपहार की गयी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 मीटर की परिधि में स्थित है। इस क्षेत्र में ऐसी भूमि का सरकार द्वारा निर्धारित रेट 1,08,00,000/- रुपये डेक्टेयर कायम है जिसके अनुसार उपहार की गयी कुल भूमि की मातृगत अंकन 30,24,000/- रुपये होती है। द्वितीयपक्ष ने स्टाफ शुल्क व निबन्धक शुल्क नियमानुसार जमा किया है। दस्तावेज कागजात में दर्शाये गये सभी तथ्य दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तहरीर करण्ये गये हैं जिसकी पूर्णतम जिम्मेदारी दोनों पक्षों की स्वयं की रहेगी। अस्तु यह उपहारपत्र लिख दिया

अथवा
आशुमान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसैन (हरिद्वार)

बालेश





है कि प्रमाणों और समस्त कर काम आये।

किरण उपाहार की तारी सम्पत्ति स्थल नाम **उपाहार** परगना मुन्नापार तालुका व जिला मुन्नापारमंडल - जो कि कृषि भूमि खाला संख्या 1110 का खसरा नम्बर 561 रकबर्द 0.2660 हेक्टेयर व खाला संख्या 1108 का खसरा नम्बर 562 रकबर्द 0.3070 हेक्टेयर व खाला संख्या 1110 का खसरा नम्बर 562 रकबर्द 0.0720 हेक्टेयर मुन्ना तीन किलो कुल रकबर्द 0.6450 हेक्टेयर के अपने कुल तक व जिले 3060/6450 भाग में से 2800/3060 का भाग जति कुल का 2800/6450 का भाग (संग्राम) जति उपाहार की कृषि भूमि का रकबा 0.2800 हेक्टेयर है, उपाहार करने बाद उक्त खसरा नं० के शेष रकबे में प्रथमपक्ष का नाम बदलकर कायम रहेगा। मय जुमला हवा व तस्क कर मिले। उपाहार की गई भूमि की 500 मीटर में कृषि कार्य हो रहा है।

इस समय जब जेठा एवं विक्रेता इस लेखापत्र के समस्त अंगों पूर्णतः पूर्णतः करते हैं कि स्थान अधिसेवन की धारा 27 का पूर्णतः अनुपालन किया गया है। कोई अन्य शिवाप नहीं मंदा है। दस्तावेज समस्त उपधारकर्ता व उपाहारग्राही के चरणे अनुसार इस्तापेन निष्पादित की है।

आस्था
साधुभावन इन्स्ट
इन्फोर्मे चारलन (हरिद्वार)

साथी

साथी


रजिस्ट्रार
मुन्नापार
जिला मुन्नापार
मंडल



सहरार ना०-28-05-2021 ई०

इन्फोर्मे चारलन - रवि जैन एडवोकेट सांभरी सरदार मुन्नापार





Handwritten signature

महाराष्ट्र
सर्वेक्षण विभाग
मुंबई (महाराष्ट्र)

आवेदन सं०- 203100700013025

श्री संख्या 1, जिल्द संख्या 8070 के पृष्ठ 201 से 210
तक अर्थात् 100 पर दिनांक 31/05/2021 को
निरीक्षण किया गया।



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

(Handwritten Signature)
अरुण कुमार शर्मा
उप निबंधक - सहाय द्वितीय
मुंबई नगर
31/05/2021

4624

S.R.-II



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893244



पति



पति

14670

4716 U
10.7.21 धर्म

5000
धर्म

उपहार-पत्र

सौजाधिकार कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | सम्पत्ति का प्रकार | : | शुद्ध भूमि |
| 2 | वर्ग/परगना | : | पुरुषपुर |
| 3 | मीटल्ला / ग्राम / सेगमेंट | : | ग्राम छपार |
| 4 | क्षेत्र-ग्रामीण / नगरीय / अर्द्धनगरीय | : | ग्रामीण क्षेत्र |
| 5 | सम्पत्ति का विवरण | : | |

अपना
अपुमान ट्रस्ट
मुक्तकान्तर (अधिकार)

10/07/21



(5) विषय की तिथि: 22/5/2014
 राज्य: उत्तर प्रदेश
 जिला: मथुरा
 मापदण्ड: 500
 एन.डी.ओ. मथुरा

22/5/2014
 एन.डी.ओ. मथुरा






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893245

- | | | | |
|----|---|------------------------------------|------------------------|
| | (आवसीय प्लॉट / व्यवसायिक / गोदाम / कुर्षि) | | कृषि भूमि |
| 6 | सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (वर्गमीटर / हेक्टेयर) | | 0.1950 हेक्टेयर |
| 7 | सम्पत्ति की स्थिति (हैरिद / जनसदीय / राज्य / राष्ट्रीय मार्ग / सेगमेन्ट) का नाम | | लिफ्ट रोड पर स्थित है। |
| 8 | कार्गोर / दो / एक संसो का नाम | | नहीं |
| 9 | निकटतम नामित मार्ग का नाम व दूरी | | नहीं |
| 10 | (क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल | | नहीं |
| | (ख) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल प्रथम तल | | नहीं |
| | (ग) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल द्वितीय तल | | नहीं |
| 11 | निर्माण का प्रकार / श्रेणी | | नहीं |
| 12 | पेन्ड का मूल्यांकन | | नहीं |
| 13 | संरिच व अन्य | | नहीं |
| 14 | निर्माण का वर्ष | | नहीं |
| 15 | प्रतिकल / बाजार मूल्य / मालियत | मालियत - 14,63,000 / - रुपये | ✓ |
| 16 | दिना गया स्टाम्प शुल्क | - 73,500 / - रुपये | |
| 17 | स्टाम्प वेपता की गणना हेतु प्रयुक्त दर | 75,00,000 / - रुपये प्रति हेक्टेयर | |
| 18 | स्टै लिस्ट का कोड संख्या, प्रारूप | | |

अभ्युक्तान इस्ट
गुरुगुरुन नाररान (अधिकार)

श्री मि



दिनांक: 23/05/2021
 राज्य की राजधानी: ...
 जिला: ...
 पंचायत समिति का नाम: ...
 स्थानीय निकाय का नाम: ...
 (दिनांक: 23/05/2021)



... (अपेक्षा सं: 20/180000000000)

दान पत्र


बही सं: ... | परिचय सं: 4024 | बही सं: ...
 100000 - 400000 रु. | 100000 - 500000 रु. | 100000 - 600000 रु. | 100000 - 700000 रु. | 100000 - 800000 रु.

श्री/श्रीमती ...
 पति/पतिवती ...
 निवासी: ...

Pooja



मैं/मैंने ...
 ...

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

 अनुप कुमार रामो
 उप निबंधक, सार्वजनिक
 प्रशासन
 25/05/2021

अनुप कुमार रामो
 उप निबंधक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

DP 893246

- | | | |
|-----|---|---|
| | पृष्ठ क्रमांक:- | 1017,4क,31 |
| 19. | बीहददी/सीमांकन- | नही |
| 20. | प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०- | 1 मोबाइल 9837466104 |
| 21. | द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नं०- | 1 मोबाइल 9761772668 |
| 22. | सम्पत्ति तक पहुंचने का कूट घाटे संलग्न है अथवा नहीं | : हाँ |
| 23. | लेखपत्र के साथ संलग्नक आवश्यक प्रपत्रों/ साक्ष्यों का विवरण | : फोटो आई.टी.(AADHAR NO-9996 7484 7328) व प्रथम पक्ष व (AADHAR NO-9916 4418 3482) द्वितीय पक्ष व प्रपत्र संलग्न है। |

हम कि श्रीमति पूजा श्री (PAN NO-EWRPS3728G) पुत्री श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार प्रथम पक्ष (उपहारदाता) व आवुष्मान ट्रस्ट (PAN NO-ABSFAJ3871G) गुरुकुल नारसन डाक खाना गुरुकुल नारसन तहसील रुड़की जिला हरिद्वार द्वारा अभ्यक्त श्रीमति बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष (उपहारगर्हता) के है और उपलक्ष में दी जाने वाली सम्पत्ति आवास विकास शुल्क को अन्तर्गत नहीं है. उपहारदाता अनुसूचित

Pearls

आवुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन (अधीकार)

क्रमांक 17 दिनांक 23/07/21


विषय: ...

अभिहित मन्. वि. (अ. 17/2021)

वर्ग क्र. 1, दिनांक 23/07/21, वर्ष 2021

निष्पादन सेवक का बचत सुम्मेन व सहायता भवितुम व प्रत्येक धनशक्ति व इतरेकातुमात उक्त बाने बाणा ।

श्रीपती दुया श्री, पुत्री श्री श्रीपति दुया
निवासी, राम बागपुर पोस्ट दुमकुल मन्. वि. (अ. 17/2021)
बागपुर, पुर्वी, **Pooja**
बाने पुर्वीका ।




श्रीपती (अधुपथन दुय के प्राने श्रीपति, श्री श्री श्रीपति दुया
निवासी, राम बागपुर पोस्ट दुमकुल मन्. वि. (अ. 17/2021)
बागपुर, पुर्वी




ने निष्पादन सेवक का बचत सुम्मेन व सहायता भवितुम व प्रत्येक धनशक्ति व इतरेकातुमात उक्त बाने बाणा ।

श्री श्रीपति दुया श्री, पुत्री श्री श्रीपति दुया
निवासी, राम बागपुर पोस्ट दुमकुल मन्. वि. (अ. 17/2021)
बागपुर, पुर्वी



[Handwritten signature]



अभिहित मन्. वि. (अ. 17/2021)

[Handwritten signature]

अभिहित मन्. वि. (अ. 17/2021)
बागपुर, पुर्वी

अभिहित मन्. वि. (अ. 17/2021)
बागपुर, पुर्वी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

DP 893293

जाति या जनजाति से नहीं है, उपहार में दी जाने वाली भूमि सिकॉ रोड पर स्थित है, और उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति शकु सम्पत्ति चर्च मिशनरी व ट्रस्ट की नहीं है। उपहारदाता व उपहारगृहीता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा उपहारदाता की द्वारा खरीद बनामा दिनांक 19-01-2019 जिसकी रजिस्ट्री वही नम्बर 1, जिल्द 7069 के पृष्ठ 371/300 में क्रमांक 815 पर दिनांक 22-01-2019ई0 को हुई है, है। और जो उपहारदाता के द्वारा अधिकार में है और उपहारदाता ही तन्हा उसका मालिक व अधिकारी है, कोई भागीदार उसने नहीं है, उपहारदाता को ट्रस्ट से लगाव है, इसलिये उपहारदाता अपनी निम्नलिखित कृषि भूमि को उपहारगृहीता को उपहार स्वरूप देना चाहता है, जिसके लिये उपहारदाता स्वतन्त्र है, और उपहार में देने में कोई कानूनी बाधा किसी प्रकार की नहीं है। उपहारदाता को उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कर्तई, स्वच्छ एवं मुक्त है, किसी विस्तीय संस्थान या व्यक्तिगत विस्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत में दी हुई है उपहार में दी जाने वाली कृषि भूमि में कोई पैड या नलक्ष्य नहीं है, सिधार्ई अन्य वास्तुकार के नलक्ष्य द्वारा की जाती है, उपहार में दी जाने वाली कृषि भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार मुबलिन 14,62,500/-रुपये होती है,

Pooja



उपहारदाता
शकु सम्पत्ति मिशनरी
व ट्रस्ट





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893294

5

लेखित उपहारदाता अपनी उक्त भूमि की मालिकता मुबलिया 14,63,000/-रुपये मालती है, और इस मालिकता पर स्टाम्प शुल्क जमा किया गया है. अतः प्रथम पक्ष उपहारदाता ने स्वैच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ भस्तिपत्र की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मग्न उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल नारसन झाक स्थान: गुरुकुल नारसन तहसील कडकी जिला हरिद्वार द्वारा अध्यक्ष श्रीमति बालेश फली भी शशीश कुनार निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष (उपहारगृहीता) को उपहार में दे दी है, और उपहारगृहीता ने निम्न सम्पत्ति को उपहार में लेना स्वीकार कर लिया है. निम्न सम्पत्ति से उपहारदाता ने अपना कब्जा व दखल उठाकर दखल व कब्जा उपहारगृहीता को बहालत मीजुदा शीके पर मिले अपने कण दिया है और उसे उसके पूर्ण मालिक व अधिकारी बना दिया है आज से उपहारदाता व उसके उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। अब यदि निम्न सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश उपहारदाता के किसी सहीम व शरीक की दावेदारी से या उपहारदाता के किसी फेल या तर्क के कारण या किसी कानूनी नुकस के कारण या किसी अन्य कारण से जो कि उपहारदाता की ओर से अमल में आवे कब्जे द्वितीय पक्ष में कोई बाधा पड़े उस पर अधिकार न मिले कब्जे न आवे कब्जे से निकल जाते तो ऐसी समस्त दशाओं में उपहारदाता

Pooja



श्रीमति बालेश फली

उपहारगृहीता

17
21/5/21
16
[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893295

की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और उपहारदाता को अधिकार होगा कि वह कब्रदास्तान या अदालत द्वारा हासिल कर लेने। इसमें उपहारदाता व उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। निम्न सम्पत्ति से सम्बन्धित यदि भविष्य में कोई मालका सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का उपहारदाता की ओर देय व बकाया पाया जाता है, तो उसी अंदा व बेबाक करने की जिम्मेदारी उपहारदाता की होगी जिसे उपहारदाता अपनी अन्य जवाबदाद से जवाब करने के पाबन्द होंगे। अस्तु यह उपहार पत्र (दान पत्र) लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण विहित सम्पत्ति स्थित ग्राम छपार परमना पुरखपार तहसील व जिला मुजफ्फरनगर- जो कि कृषि भूमि खतीनी वर्ष 1425 सा 1430 फसली के खाता संख्या 20932 के नम्बर खसरा 506/0.1950 हेक्टेयर लगान सालाना 0.58-साथे वर्षापूर्व (गुनिक आई0सी0कोड 110842-0500-001-12) मय जुगला हर्कुल हर किन्सा। घोषणा/प्रमाणित- हम समय पर केता एवं विवेका

रुना
समुधान ट्रस्ट
पुनर्वास नारसन (हरिदास)

राजा


19
आपके लिए
27/5/21
16
3779
महोदय
आपके लिए
आपके लिए



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No: IN-UP75358997345870T
Certificate Issued Date: 21-May-2021 01:58 PM
Account Reference: NEW/MPACC (SVY) up141R5404 MUZAFFARNAGAR SADARI UP
Unique Doc. Reference: SUBIN-UPUP141R54043837184776673MT
Purchased by: AAYUSHMAAN TRUST BY SMT. BALESH WO SATISH KUMAR
Description of Document: Article 33 OR
Property Description: AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-CHHAPAR
MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.):
First Party: SMT POOJA SHREE DO SATISH KUMAR
Second Party: AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Stamp Duty Paid By: AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Stamp Duty Amount (Rs.): 43,500
(Forty Three Thousand Five Hundred only)



Please write or type below this line

POOJA

अथवा
साधुमान ट्रस्ट
बालेश कुमार (सहकार)
बालेश

0004115293



इस लेखपत्र के गवाह शपथ पूर्वक घोषित करते हैं कि स्टाम्प अभिविनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। निष्पादनकर्ता ने विवेकता व ईमान के साथ अनुमान दस्तावेज निष्पादित की है।

विशेष

जयराज
आधुमान दस
इसकूल मारवा (श्रीवांग)
००१ २५ ७७

साक्षी



दीपक कुमार कपलार
इ/० जयराज कुमार कालार
जयराज - दीपक कलापुर
माला
(हस्ताक्षर)


साक्षी

Kamraj Singh

तहसील ता. - 27-05-2021 ई०

झापटकर्ता:- नवि जैन एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर





अवधि

आयुधान दस्त

राज्य शासना (मिनिस्टर)

मिस्टर



1622

S.R.-II

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893247



पुत्र



पति

Handwritten notes in blue ink: '10/7/23', '4717', '10.7.23', '6', 'K.O.D.', and a signature.

उपहार-पत्र

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | सम्पत्ति का प्रकार | : | कृषि भूमि |
| 2 | गाई/फसल | : | पुरखार |
| 3 | मीहल्ला/ग्राम/सेगमेंट | : | ग्राम छपार |
| 4 | क्षेत्र-ग्रामीण/नगरीय/अर्द्धनगरीय | : | ग्रामीण क्षेत्र |
| 5 | सम्पत्ति का विवरण | : | |
| | (आवासीय प्लॉट / व्यवसायिक / | | |

Pooja



शर्मिष्ठा

अपना
आयुष्मान ट्रस्ट
पुरुकुल नारसैन (हरिद्वार)



क्रमांक: 12 दिनांक की तिथि 27/12/21
राज्य को पत्रादि
संबंधित ज: आयु & भागफल के विषय

उपरोक्त पत्र
उपरोक्त पत्रादि एतद्वारा
एतद्वारा प्रेषित
उपरोक्त पत्रादि

मनमोहन गोपाल (संस्थापक अध्यक्ष)
राज्य के मुख्य आयुक्त (आयु & भागफल) के कार्यालय में
काठमांडू, नेपाल 22/12/2021





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893248

	सोदान / कृषि	कृषि भूमि
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (वर्गमीटर / हेक्टेयर)	0.1400 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति की स्थिति (सिख / जनपदीय / राज्य / राष्ट्रीय मार्ग / रोडवेस्ट) का नाम	सिख रोड पर स्थित है।
8.	कार्नेर / दो / एक शस्ते का नाम	नहीं
9.	निकटतम नामित मार्ग का नाम व दूरी	नहीं
10.	(क) सम्पत्ति का आकाशदित क्षेत्रफल मूलतः	नहीं
	(ख) सम्पत्ति का आकाशदित क्षेत्रफल प्रथम तल	नहीं
	(ग) सम्पत्ति का आकाशदित क्षेत्रफल द्वितीय तल	नहीं
11.	निर्माण का प्रकार / श्रेणी	नहीं
12.	पेढो का मूल्यांकन	नहीं
13.	बोरिंग व अन्य	नहीं
14.	निर्माण का वर्ष	नहीं
15.	प्रतिफल / बाजार मूल्य / मालियत	मालियत - 10,50,000 / - रुपये

Pooja



शशिनाथ
अग्रवाल

जायुधान ट्रस्ट
गुरुकुल नगरपालिका (दिल्ली)



27/5/21
 2021
 2021



10000 मीटर चौड़ाई - 2000 मीटर लंबाई - 100000 वर्गमीटर क्षेत्रफल - 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल - 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल

श्री. राजेश कुमार
 श्री. राजेश कुमार
 श्री. राजेश कुमार
 श्री. राजेश कुमार



श्री. राजेश कुमार
 श्री. राजेश कुमार
 श्री. राजेश कुमार

राजेश कुमार वर्मा
 राजेश कुमार वर्मा
 राजेश कुमार वर्मा
 राजेश कुमार वर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DF 893249

16. दिया गया स्टाम्प शुल्क - 52,500/- रुपये ✓
17. स्टाम्प देवता की गणना हेतु प्रयुक्त दर - 75,00,000/- रुपये प्रति हेक्टर ✓
18. रेट लिस्ट का कोड संख्या, प्रारंभ पुस्तक संख्या - 1017,4/31
19. चौकड़ी / सीमांकन - नहीं
20. प्रथम पक्ष की संख्या व मोबाईल नं० - 1 मोबाईल 9837456104
21. द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नं० - 1 मोबाईल 9761772668
22. सम्पत्ति तक पहुंचने का रूट चार्ट संलग्न है अथवा नहीं : जी
23. लेखपत्र के साथ संलग्नक व्याख्याक प्रपत्रों / साक्ष्यों का विवरण : फोटो आई.डी. (AADHAR NO- 9996 7484 7328) व प्रथम पक्ष व (AADHAR NO-9916 4418 3482) द्वितीय पक्ष व प्रपत्र संलग्न है।

पिठोरा

शशि

अध्यक्ष

जायमान टाइट

सुकरूपल तावरान (अध्यक्ष)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

DP: 893296

हम कि श्रीमति पूजा श्री (PAN NO-EWRPS3728G) पुत्री श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार प्रथम पक्ष (उपहारदाता) व आयुष्मान ट्रस्ट (PAN NO-ABSFA3871G) गुरुकुल नारसन बाक खाना गुरुकुल नारसन तहसील रुन्की जिला हरिद्वार द्वारा अध्यास श्रीमति बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम खानपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष (उपहारग्राही) के है और उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति आकाश विकास शुल्क के अन्तर्गत नहीं है, उपहारदाता अनुसूचित जाति या जगजाति से नहीं है, उपहार में दी जाने वाली भूमि लिंक रोज पर स्थित है, और उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति चर्च मिशनरी व बम्फ/ट्रस्ट की नहीं है। उपहारदाता व उपहारग्राही दोनों भारतीय नागरिक है।


जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा उपहारदाता की द्वारा खरीद बैनाम दिनांक 19-01-2019 जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 7888 के पृष्ठ 397/420 में क्रमांक 816 पर दिनांक 22-01-2019ई0 को हुई है। है। और जो उपहारदाता के कब्जे अस्तित्व में है और उपहारदाता ही तन्हा उसका मालिक व अधिकारी है, कोई भागीदार उसमें नहीं है, उपहारदाता को ट्रस्ट से लगाव है, इसलिये उपहारदाता अपनी निम्नलिखित कुचि भूमि को उपहारग्राही को

Pooja

(श्रीमति)

जगदी

आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन (हरिद्वार)



13 =





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DP 893297

5

उपहार स्वरूप देना चाहता है, जिसके लिये उपहारदाता स्वतन्त्र है, और उपहार में देने से कोई कानूनी बाधा किसी प्रकार की नहीं है। उपहारदाता को उपहार में दी जाने वाली सम्पत्ति इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कदाई स्वच्छ एवं मुक्त है, किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत में दी हुई है उपहार में दी जाने वाली कृषि भूमि में कोई पत्र या गलतकूप नहीं है, सिवाई अन्य कारलाकार के गलतकूप द्वारा की जाती है, उपहार में दी जाने वाली कृषि भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित रेट को अनुसार मुबलिया 10,50,000/-रुपये होती है, लेकिन उपहारदाता अपनी उपरत भूमि की मालियत मुबलिया 10,50,000/-रुपये मानती है, और इस मालियत पर स्टाम्प शुल्क जदा किया गया है, अतः प्रथम पक्ष उपहारदाता ने स्पेच्छन तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मनितक की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों को न रखने शंष किसी भी अधिकार के आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल नारसन डाक खाना गुरुकुल नारसन तहसील रुडकी जिला हरिद्वार द्वारा अध्यक्ष श्रीमति बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी घाम जागपुर पोस्ट गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष (उपहारगहीता) को उपहार में दे दी है, और उपहारगहीता ने निम्न सम्पत्ति को उपहार में लेना स्वीकार कर लिया है, निम्न

Pooja



श्रीमति
अध्यक्ष
आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसन (हरिद्वार)



14
रजप की तिथि 25/5/21
रजप की तिथि
मार्गिक नं० 3700

13 महामुद्रा

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

UP 893298

6


सम्पत्ति से उपहारदाता ने अपना कब्जा व दखल उठाकर दखल न कब्जा उपहारदाता का बहालता भीषूदा मीकें पर गिरल अपने करा दिया है और उसे उसकी पूर्ण सत्तिक व अधिकारी बना दिया है आज से उपहारदाता व उसके उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध रोग नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। अब यदि निम्न सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंग उपहारदाता के किसी सहीम व शरीक की दामेदारी से या उपहारदाता के किसी फल या तर्क के कारण या किसी कानूनी नुकस के कारण या किसी अन्य कारण से जो कि उपहारदाता की ओर से अनल न आवे कब्जे द्वितीय पक्ष में कोई बाधा पडे उस पर अधिकार न गिरे कब्जे न आवे कब्जे से निकल जावे तो ऐसी समस्त पराओं में उपहारदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और उपहारदाता को अधिकार होगा कि वह कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा हासिल कर सके। इसमें उपहारदाता व उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। निम्न सम्पत्ति से सम्बन्धित यदि भविष्य में कोई मरालया सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का उपहारदाता की ओर रोग व बकाया पाया जाता है, तो उसे अदा व बेसाक करने की जिम्मेदारी उपहारदाता की होगी जिसे उपहारदाता अपनी अन्य जायदाद से अदा करने के पाबन्द होगे। अस्तु यह उपहार पत्र (दान पत्र) लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम छपार परगना पुरछवार तहसील व

Pooja

शामेश

अनुमान 5/11
पुरखुल बाजार (अधिका)



15
दिनांक की तिथि 27/5/21
स्थान की पता 500

13
महोदय




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.
Certificate issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP75300006564844T
23-May-2021 01:27 PM
NEWMP ACC (SV) 4614105404/ MUZAFFARNAGAR SADAR/ UP
MUF
SUBN-LIPUP1419540406307263048554T
AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
Article 33 Gift
AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL GHAPAR
MUZAFFARNAGAR
SMT PODJA SHREE DO SATISH KUMAR
AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
AAYUSHMAAN TRUST BY SMT BALESH WO SATISH KUMAR
22500
(Twenty Two Thousand Five Hundred only)



[Handwritten signatures and marks]

.....Please write or type below this line.....

Podja

पुष्पिका
अपन
आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारायण (हरिद्वार)

0004115292



विज्ञापन मुद्रापत्र- जो कि कृषि भूमि खाली वर्ष 1425 ता 1430 फसली के खाता संख्या 1078 के नम्बर खसरा 507/04610 ईकटेयर लगान सालाना 2259-रुपये का एक व हिस्सा कुल प्रधान पक्ष यानि 1400/4610 भाग भागानुसार क्षेत्र 0.1400 ईकटेयर (युनिक आई0वी0पी0ड 110842950700112) मध्य खुलता इन्क 22 किन्म। घोषणा/प्रमाणक- इन उभय पक्षों के एवं दिखता इस लेखपत्र के महाद रूपध पूर्वक घोषित करते है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया है। कोई लब्ध डिग्री नहीं गया है। निष्ठाजनकता ने विक्रय व क्रेता को बताये अनुसार दस्तावेज निष्पादित की है।



श्री वैश

अध्यक्ष
आयुष्मान इस्ट
दुकान नारसंग (हरिद्वार)

साक्षी



दीपक कुमार माल
% एलीजा कुमार सा
जाते - श्रीमती कल्याण
मालिक (हरिद्वार)

साक्षी

[Handwritten signature]

तहसील साठ - 27-08-2021 ई0

इम्प्टकार्ता - श्री धीन एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर





Powja

वामिश
 जयपुर
 जयपुर डस्ट
 जयपुर डस्ट

आवेदन सं०- 102100708012971

बही संख्या 1 सिल्वर संख्या 19368 के पृष्ठ 299 से 314 तक
क्रमांक 4623 पर दिनांक 29/05/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार शर्मा

उप निबंधक : रादर द्वितीय

मुजफ्फरनगर

29/05/2021





11983

S.R.-II
MZN

सेवाधिकार कार्यालय उप निरन्तर सपर

किरायाभाग 30 वर्ष से अनधिक

मिरांच > 8,000/- रुपये प्रतिमास

रंगम शुल्क > 11,600/- रुपये

हम कि सतीश कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह आचार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6421, PAN-AMOPK1015D व दीपक कुमार साहू पुत्र श्री सतीश कुमार साहू आचार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0448, PAN-EWRPS3730N निवासीगत ज्ञान पीथरी कस्तूर गिरा हरिद्वार व श्रीमति बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार साहू जी अचर कार्ड संख्या XXXX XXXX 3482, PAN-BROPD3079A प्रथम पत्र (सम्पत्ति तारी) व आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल नारसग गिरा हरिद्वार, PAN-


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




बालेश

बालेश




आयुष्मान
आयुष्मान ट्रस्ट
गुरुकुल नारसग (हरिद्वार)







Certificate No.	IN-LIPSH7W010000078U
Certificate issued Date	14-Sep-2020 10:28 AM
Admission Reference	NEWIMPAC (BY) 4814186404/MUZAFFARNAGAR 3/2020/10/28
Original Doc. Reference	SUBM-OPUP141864040808017400000U
Fluctuated by	AYUSHMAN TRUST BY BALESH
(Description of Document)	Article 20 Lease
Property Description	AMTA SITUATED AT VIL: CHHAPAN MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	
Fee Part	BALISH KUMAR GO BHOPAL SINGH ETC
Second Party	AYUSHMAN TRUST BY BALESH
Stamp Duty Paid By	AYUSHMAN TRUST BY BALESH
Stamp Duty Amount (Rs.)	11,800 (Eleven Thousand Six Hundred only)




E-STAMP
LOCKED BY *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
बालेश
आयुष्मान ट्रस्ट
प्राइवेट लिमिटेड (लीजिटर)



0014149982

आवेदन संख्या: 2022001000034100

पट्टा विशेष: सशुद्धीकरण


पट्टी संख्या:

सर्वेक्षण क्रम: 1140

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 140000 ब्यान्स चुका - 11000 साकरी चुका - 8 फीडबक चुका - 5740 प्रतिनिधिकरण चुका - 00 मीन। 5820

श्री सतीश कुमार,
पुत्र श्री भोपाल सिंह
अवकाश - जयपुर
मिठानी, बीपली काठारपुर जिला झुंझार



वेब पर वेबसाइट वृत्त कार्यालय में दिनांक 14/09/2023 पर 08:50:23 PM को
सिक्किंग हेतु देस किया।

सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर



राजेश कुमार,
उप निबंधक, कवर डिप्टी
सुपारवाइजर
14/09/2023

सतीश कुमार शैलम
निबंधक सिपिक
14/09/2023




AJTA0459L डाटा अण्णा बीमति बालेश पत्नी श्री सतीश कुमार तिवारी ग्राम खानपुर
मुख्य अण्णा मुख्यालय नारायण गिरी हरिद्वार अण्णा सर्वे संख्या XXXX XXXX 3482, जिला
हरिद्वार (हरिद्वार) है।

जो कि प्रथमक का एक अण्णा मय गुणता समीक्षा मय आसानी छती 0.6702 हे०
मुंबना खसरा नं० 502 स्थित ग्राम छपार परगना व तहसील व जिला मुख्यालय नर है,
विस्तार प्रथमक एकिक व कर्मिक है। प्रथमक ने गुणता अण्णा मय द्वितीयक मय संकल
8,000/- मयने अण्णा मय दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.07.2052 तक के लिये मिरामे मय

 	 
<p>बालेश</p> 	<p>बालेश अण्णा मुख्यालय टास्ट मुख्यालय नारायण (हरिद्वार)</p> 

दिष्ट है और दोनों पक्षों को साथ मिलना शर्त तय पायी है- 1. यह कि द्वितीयपक्ष किराया प्रतिपाद प्रथमपक्ष को एडवर्स में जमा करता रहेगा। 2. यह कि निराय किरायेदार द्वितीयपक्ष अर्थात् उक्त को अपने इस्तेमाल में लाये व लाये किराया बंदस्तूर जारी रहेगा। 3. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त अर्थात् में कोई भी कानूनी कार्य यदि जिस पर सरकार/किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबंध हो वह कार्य नहीं करेगा तथा द्वितीयपक्ष उक्त अर्थात् में अपनी सहाय्यता अनुसार निर्माण कार्य व फनीचर्स आदि का कार्य करा सकेगा। 3. यह कि निरायेदारी की अंतिम के अन्तगत उक्त अर्थात् के भिन्नी फ्लि, वाटर टैक्स आदि के खर्चे बजिन्ने द्वितीयपक्ष रहेगे। 4. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त अर्थात् में कोई सिस्मी

Shub



पामेश

meel



पामेश

Handwritten signature or text, very faint and illegible.

अगस्त
आशुमान टूरट
गुरुकुल नारसग (हरिद्वार)



श्री निरंजन खोसला सिपाई / जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 3

श्री रवि शर्मा, एडवोकेट

सिपाई: राजेश चंद्र गुप्ता

आवस्था: सक्रिय


पहचानकर्ता : 3



श्री किशोर कुमार शर्मा, एडवोकेट

सिपाई: राजेश चंद्र गुप्ता

आवस्था: एडवोकेट



सिपाईकरण अधिकारी के द्वारा


ने की। प्रत्येक भाग सदस्यों के विषय अपने निम्नलिखित विवरण
में है।
सिपाई:


राजेश कुमार
राज निवास - शहर दिल्ली
मुंबई/मद्रास
14/09/2022


अमित कुमार शर्मा
निवास दिल्ली मुंबई/मद्रास
14/09/2022



किरायेदार नहीं रखेगा और नही किसी और व्यक्ति को किराये पर देगा। 6. यह कि यदि द्वितीयपक्ष अज्ञानी उत्तर को निम्न से पहले खाली करेगा है तो वह प्रथमपक्ष को एक महीने पूर्व सूचित करेगा। 7. यह कि किरायेदारी की मूल अवधि की समाप्ति के पश्चात किरायेदारी के नवीनीकरण करने का न करने का अधिकार प्रथमपक्ष सम्पत्ति स्वामी के पास होगा। 8. यह कि यदि किरायेदारी की अवधि की समाप्ति के पश्चात दोनों पक्ष चाहेंगे तो किरायेदारी नये किरायेदामे द्वारा आगे बढ़ाई जायेगी। 9. यह कि उपरोक्त अज्ञानों के मॉलिकाना तक प्रथमपक्ष को ही रहेंगे तथा किरायेदारी खत्म होने के बाद द्वितीयपक्ष शुद्ध खाली करके अज्ञानों का सभ्या प्रथमपक्ष को सौंप देगा यदि द्वितीयपक्ष अज्ञानों खाली नहीं करता है तो प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना अज्ञानों कानूनी कार्यवाही के द्वारा अपना अज्ञानों द्वितीयपक्ष से खाली करा तैरे विस्तार हुये समस्त कर्ज-खर्च द्वितीयपक्ष से बसुता

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





धामिका
 जयपुर
 आमुष्ण ट्रस्ट
 गुरुकुल नारायण (अधिदार)





कार्यक्रम. 10.पट कि उपरोक्त शर्तों के बोना पक्ष में उनके करिमान पूर्ण पालन रहने।

अतः यह किरायेनामा लिख व लिखवा दिया कि सन्द रहे और स्वयं पर काम आवे।


 **शमिश**
 सादी 



 अमर
 कानूनालय इस्ट
 इन्डियन गवर्नमेन्ट (सिविल)
 सादी 
 ए.बी.ए

तारीख 14-09-2022 ई0

इसद्वारा - एडवोकेट तन्वीत सर मुजफ्फरनगर 

आवेदन सं०: 2022097000034106

बही संख्या 1 जिल्हा संख्या 9510 के पृष्ठ 211 से 222 तक क्रमांक 11463 पर दिनांक 14/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश कुमार

उप निबंधक : सदर द्वितीय
मुजफ्फरनगर
14/09/2022



प्रिंटेड